न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 102 /2021 प्रार्थना पत्र

1. राधेश्याम पिता देवा उर्फ देवीलाल जी जाति धाकड उम्र 62 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
2. जगदीश पिता देवा उर्फ देवीलाल जी जाति धाकड उम्र 58 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
3. रमेशचन्द्र पिता देवा उर्फ देवीलाल जी जाति धाकड उम्र 49 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
4. सीताबाई पुत्री देवा उर्फ देवीलाल जी जाति धाकड उम्र 65 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
5. मोतीलाल पिता पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द जी जाति धाकड उम्र 65 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
6. घीसीबाई पुत्री पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द जी जाति धाकड उम्र 60 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
7. अणछीबाई बेवा अमरचन्द जी जाति धाकड उम्र 80 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0
8. सुगनाबाई पुत्री अमरचन्द जी जाति धाकड उम्र 48 साल निवासी चरलिया ब्राह्मणान तह0 निम्बाहेडा राज0 ......प्रार्थीगण

/बनाम/

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज0............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट

//आदेश// दिनांक 31-5-22

उपस्थितः–प्रार्थीगण की और सेः– अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल धाकड
विपक्षी की और सेः– स्वयं उपस्थित

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वाके मोजा कोटडीकलां प0ह0 कोटडीकलां तह0निम्बाहेडा में खाता सं0 139 की आ0नं0 446 रकबा 0.4100 हेक्टैयर, आ0नं0 449 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, आ0नं0 450 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, आ0नं0 451 रकबा 0.5300 हेक्टेयर, आ0नं0 452 रकबा 0.650 हेक्टैयर, आ0नं0 453 रकबा 0.0600 हेक्टैयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.94 हेक्टैयर स्थित हैं, जिसके पुराने सेटलमेन्ट अनुसार पुराने आ0नं0 256 रकबा 1 विघा 12 विस्वा, आ0नं0 259 रकबा 18 विस्वा, आ0नं0 260

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

रकबा 5 बिस्वा, आ0नं0 261 रकबा 2 बिघा 2 बिस्वा, आ0नं0 262 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा, आ0नं0 263 रकबा 5 बिस्वा हैं। पुष्टि में नकल वर्तमान एवं गत सेटलमेन्ट की जमाबंदीयॉ एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलीपीयॉ पेश हैं। उपरौक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पडदादा जी मेघराज जी धाकड के समय की हैं, मेघराज जी के फौत होने पर उक्त जमीन उनके पुत्रो गोपाल, हेमराज, वजेराम, भगवाना पिता मेघराज धाकड के नाम पर दर्ज हुई थी जिनका प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहीत हुआ, उसके बाद प्रार्थीगण के दादा जी गोपाल जी के फौत हो जाने पर विरासत से उक्त जमीन देवा, पियारा, अमरचन्द पिता गोपाल जी के नाम पर दर्ज हुई, जो नामान्तरण सं0 280 से दर्ज हुई। उसी अनुसार जमावंदी संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में इन्द्राज हुआ। परन्तु उसके बाद रोटेशन बदला तब संवत 2037 से 2040 की आराजीयात में खातेदार के कॉलम में – देवा पिता प्यारा, अमरचन्द पिता गोपाल, हेमराज, वजेराम, भगवाना पिता मेघराज धाकड अंकन कर दिया, जबकि देवा के पिता का नाम गोपाल है, तथा देवा एवं प्यारा दोनो आपस में भाई है तथा देवा, प्यारा, अमरचन्द तीनो सगे भाई होकर गोपाल जी की संताने हैं। लेकिन उक्त त्रुटी के कारण नवीन जमाबंदी में भी नाम की त्रुटी दर्ज हो गई जिससे गोपाल जी के तीनो संतानो के हक हिस्से में भी गडबड हो गई, क्योंकि गोपाल जी के हिस्से की आराजीयात में उनके तीनो पुत्रो देवा उर्फ देवीलाल, पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द व अमरचन्द तीनो का 1/3– 1/3 हक हिस्सा उक्त आराजीयात में निहित हैं। उक्त आराजीयात में गोपाल जी का 1/4 हिस्सा निहित था इसलिये गोपाल जी के तीनो पुत्रो का 1/12–1/12 हक हिस्सा उक्त आराजीयात में निहित हुआ। लेकिन नाम की त्रुटी के कारण हक हिस्से में भी त्रुटी हो गई इस कारण खाते में अमरचन्द पुत्र गोपाल का 1/8 हिस्सा दर्ज हो गया जबकि अमरचन्द का 1/12 हिस्सा निहित है तथा अमरचन्द फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थीगण अणछीबाई एवं सुगनाबाई हैं, इसलिये खाते में शुद्धी हेतु अणछीबाई व सुगनाबाई को पक्षकार बनाया है, इसी प्रकार देवा पुत्र प्यारा का 1/8 हिस्सा दर्ज कर रखा है जबकि देवा के पिता का नाम प्यारा नहीं था, प्यारा तो देवा जी का भाई था। देवा जी के पिता का नाम गोपाल था तथा देवा, पियारा, अमरचन्द पिता गोपाल जो स्व0 गोपाल पिता मेघा जी के वारिसान हैं। इसलिये खाते में देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल 1/12 दर्ज किया जाकर शुद्धीकरण किया जाना आवश्यक हैं , चूंकि देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल का स्वर्गवास हो गया है उनके वारिसान प्रार्थीगण राधेश्याम, जगदीश, रमेशचन्द्र, सीताबाई हैं तथा वेवा रामीबाई थी जिसका स्वर्गवास हो गया हैं, जिनका 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है, इसी प्रकार से पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द पिता गोपाल का 1/12 हिस्सा भी उक्त खाते में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है चूंकि पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द का स्वर्गवास होकर उनके वारिस मोतीलाल, घीसीवाई व बेवा– वरदीबाई हुए, जिसमें से बरदीबाई फौत हो चुकी है, शेष वारिस मोतीलाल व घीसीबाई का 1/12 हिस्सा दर्ज कर शुद्धी किया जाना आवश्यक हैं।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

गोपाल पिता मेघा का उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा था और गोपाल पिता मेघा जी के तीन लडके देवा उर्फ देवीलाल, पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द एवं अमरचन्द हुए जिससे उक्त आराजी में गोपाल जी के तीनो लडको का गोपाल जी की विरासत अनुसार 1/12– 1/12 हक हिस्सा निहित हुआ हैं। जबकि खाते में देवा पिता प्यारा 1/8 एवं अमरचन्द पिता गोपाल 1/8 दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत हैं और इस कारण उक्त त्रुटी को शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं । प्रार्थीगण ने पूर्व जमाबंदी अनुसार नवीन जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्त करने हेतू अपने स्तर पर कार्यवाही की परन्तु इन्द्राज दुरूस्त नहीं होने से यह आवेदन पेश करना पड रहा हैं। अन्त में निवेदन किया कि – नवीन जमाबंदी मोजा कोटडीकलां प0ह0 कोटडीकलां में आवेदन में वर्णित अनुसार गोपाल जी के तीनो पुत्रो देवा उर्फ देवीलाल, पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द व अमरचन्द तीनो का गोपाल जी के 1/4 हिस्से मेंसे प्रत्येक पुत्र का 1/3– 1/3 यानि 1/12–1/12 हक हिस्सा उक्त आराजीयात में अंकन करवाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त कराया जाने की कृपा करावे तथा खाते में देवा पुत्र प्यारा को शुद्ध किया जाकर देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल दर्ज कराया जाकर उनका 1/12 हिस्सा दर्ज कराया जाकर उनके वारिसान राधेश्याम, जगदीश, रमेशचन्द्र, सीताबाई के नाम दर्ज कराया जावें इसी प्रकार पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द पिता गोपाल का 1/12 हिस्सा दर्ज कराया जाकर उनके वारिसान मोतीलाल, घीसीबाई के नाम अंकन करवाया जावें व अमरचन्द पिता गोपाल के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज कर उनके वारिसान अण्छीबाई व सुगनाबाई के नाम दर्ज कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाद तामिल वक्त पेशी उपस्थित हुए। प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को कमिश्नर नियुक्त कर जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतू आदेशित किया। जिसकी पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बाडी को जांच रिपोर्ट बनाकर पेश करने हेतू आदेशित किया जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक बाडी द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के समक्ष जांच रिपोर्ट दिनांक 28.11.2021 को बना कर प्रस्तुत की गई, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज इन्द्राज की सम्पूर्ण जॉच व अवलोकन किया जिसके अनुसार संवत 2033– 37 की जमाबंदी खाता सं0 26 में खातेदार गोपाल , हेमराज, वजेराम,भगवाना, पिता मेघराज दर्ज था, ना0सं0 280 से गोपाल जी विरासत से गोपाल के बजाय देवा, प्यारा,अमरचन्द पिता गोपाल दर्ज हुआ। वक्त रोटेशन संवत 2037 से 40 में खाता सं0 60 में देवा पिता प्यारा, अमरचंद पिता गोपाल 1/4 दर्ज था, जबकि देवा, प्यारा,अमरचन्द पिता गोपाल 1/4 दर्ज होना था। इसके आगे के रोटेशन में अन्य खातेदार हेमराज, वजेराम, भगवाना भी फौत होने से विरासत से वारिसान के नाम नामान्तकरण दायर होते गये जिससे खातेदारो के नाम दर्ज हिस्सा गलत दर्ज होता गया, देवा, प्यारा, अमरचन्द का हिस्सा 1/12 प्रत्येक का दर्ज होना चाहिये था। खातेदार भगवाना पिता मेघराज लाऔलाद फौत होने से देवा को

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

गोदी पुत्र रखा था, जिससे देवा के वारिसान सम्पूर्ण खाते में 1/3 हिस्सा से प्रत्येक का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित होगा। वर्तमान खाता सं0 139 की किता 6 रकबा 1.94 हेक्टेयर भूमि में खातेदारान का हिस्सा सजरे अनुसार निम्नानुसार दर्ज किया जाना उचित होगा:–

हेमराज

- गोपाल 1/4
  - देवा
    - राधेश्याम 1/12
    - जगदीश 1/12
    - रमेशचन्द्र 1/12
    - सीताबाई 1/12
  - प्यारा
    - मोतीलाल 1/24
    - घीसीबाई 1/24
  - अमरचन्द
    - अणछी 1/24
    - सुगना 1/24
- हेमराज 1/4
  - ताराचन्द 1/12
  - लालूराम 1/12
  - हुक्मीचन्द 1/12
- वजेराम 1/4
  - चतरभुज 1/12
  - हिरालाल 1/12
  - मोहनलाल 1/12
- भगवाना 1/4
  - देवा पिता गोपाल मुतवन्ना भगवाना 1/4

मोहन पिता वजेराम ने अपना 1/12 हिस्सा, अपने भाई हीरालाल पिता वजेराम को हकत्याग करने से खाते में हीरालाल पिता वजेराम 1/6 हिस्सा दर्ज हैं तथा देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल, भगवाना पिता हेमराज के गोद जाने से खाते में देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल 1/12 + भगवाना पिता हेमराज 1/4 से देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल सम्पूर्ण खाते में 1/3 हिस्से का खातेदार बना, इसलिये देवीलाल के वारिसान राधेश्याम, जगदीश, रमेशचन्द्र सीतावाई का उपरौक्त खाते में प्रत्येक का 1/12– 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। तथा प्यारा पिता गोपाल का नाम जमाबंदी रोटेशन अनुसार संवत 2033 से 37 की जमाबंदी में दर्ज था तथा उसके बाद संवत 2037 से 40 कीजमाबंदी में राजस्व कर्मीयो की त्रुटी से नाम छुट गया जबकि सजरे अनुसार प्यारा के वारिसान मोतीलाल, घीसीबाई प्रत्येक का 1/24– 1/24 हिस्सा दर्ज होना चाहिए।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया, प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदीया एवं खसरा गिरदावरी, मिलान क्षैत्रफल व तहसीलदार निम्बाहेडा की जॉच रिपोर्ट एवं हेमराज के वारिसान का सजरा का अवलोकन किया, तो सजरा में

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

वर्णित वारिसान का विवरण सही पाया गया इसलिये सजरा अनुसार खाता शुद्धी किये जाने का आदेश निम्नानुसार दिया जाता हैं तथा नवीन जमावंदी मोजा कोटडीकलां प0ह0 कोटडीकलां की उपरौक्त आराजीयात में देवा उर्फ देवीलाल पिता गोपाल मुतबन्ना भगवाना के वारिसान राधेश्याम, जगदीश, रीमेशचन्द्र, सीतावाई का प्रत्येक का 1/12– 1/12 हिस्सा, पियारा उर्फ प्यारा उर्फ प्यारचन्द के वारिसान मोतीलाल व घीसीबाई का प्रत्येक का 1/24– 1/24 हिस्सा व अमरचन्द के वारिसान अणछी एवं सुगना का प्रत्येक का 1/24– 1/24 हिस्सा, हेमराज के वारिसान ताराचन्द, लालुराम, हुक्मीचन्द का प्रत्येक का 1/12– 1/12 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं वजेराम के वारिसान चतरभुज का 1/12 हिस्सा एवं खाते में मोहन लाल के द्वारा अपना दर्ज 1/12 हिस्सा अपने भाई हीरालाल के पक्ष में हकत्याग करने से खाते में हीरालाल का 1/6 हिस्सा दर्ज किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 31 .05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा